

राजस्थान सरकार
निदेशालय, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएँ, राजस्थान जयपुर

क्रमांक : अराज/सामान्य/2018/577

दिनांक 26/06/2018

आदेश

निम्नलिखित पब्लिक हेल्थ नर्स के स्थानान्तरण/पदस्थापन प्रशासनिक कारणों से उनके नाम के सम्मुख अंकितानुसार तुरन्त प्रभाव से किये जाते हैं :-

क्र.सं.	नाम कार्मिक	कहां से	कहां को	विशेष विवरण
1	रविन्द्र कुमार धोकरिया	एएनएम प्रशिक्षण केन्द्र अमरसर, जयपुर	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण प्रशिक्षण केन्द्र हीराबाग, जयपुर	सुरेन्द्र कुमार मोदानी के स्थान पर
2	सुरेन्द्र कुमार मोदानी	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण प्रशिक्षण केन्द्र हीराबाग, जयपुर	एएनएम प्रशिक्षण केन्द्र अमरसर, जयपुर	रविन्द्र कुमार धोकरिया के स्थान पर
3	सुनील चंद गुप्ता	एएनएम प्रशिक्षण केन्द्र अमरसर, जयपुर	एसएमएस चिकित्सालय जयपुर में नर्सिंग ट्यूटर के पद विरुद्ध	जावेद अख्तर, नर्सिंग ट्यूटर के स्थानान्तरण से हुए रिक्त पद पर
4	मीनाक्षी मैसी	एएनएमटीसी कोटा	एसएमएस चिकित्सालय जयपुर में नर्सिंग ट्यूटर के पद विरुद्ध	धनपत राज मासीवाल, नर्सिंग ट्यूटर के स्थानान्तरण से हुए रिक्त पद पर

- संविदा/रिर्स डेपुटेशन/एनएचएम योजना के अन्तर्गत पदस्थापित कर्मचारियों के स्थानान्तरण की क्रियान्विति नहीं होगी।
- कर्मचारी का स्थानान्तरण भूलवश दो बार होने की स्थिति में प्रथम बार किये गये स्थानान्तरण की क्रियान्विति की जावे।
- ऐसे संस्थान जहां एक ही पद स्वीकृत हैं। यदि वहां एक के अधिक कर्मचारी का स्थानान्तरण हो जाता है तो पहले कार्यग्रहण करने वाले कर्मचारी को कार्यग्रहण करावे। इसके पश्चात् उसी स्थान के लिए आने वाले कर्मचारी के पदस्थापन के संबंध में निदेशालय से निर्देश प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्यवाही की जावे।
- यदि कार्मिक का स्थानान्तरण रिक्त पद पर किया गया तथा उस संस्थान पर पद रिक्त नहीं हैं, तो कार्यग्रहण नहीं करवाते हुये अविलम्ब निदेशालय हेतु कार्यमुक्त करें।
- रिक्त पद पर किये गये स्थानान्तरण में किसी भी स्थिति में कार्मिक का समायोजन अन्य समकक्ष/उच्च रिक्त पद पर नहीं किया जायेगा।
- उपरोक्त शर्तों (1 से 5) की पालना किये जाने का दायित्व कार्यमुक्त करने वाले/कार्यग्रहण कराने वाले अधिकारी का होगा।

(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ,
राजस्थान जयपुर

प्रतिलिपि:-निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 विशिष्ट सहायक, मा. मंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान जयपुर।
- 2 विशिष्ट सहायक, मा. राज्यमंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान जयपुर।
- 3 निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान जयपुर।
- 4 संबंधित जिला कलेक्टर, राजस्थान।
- 5 निदेशक, जनस्वास्थ्य/प0क0/एड्स/आईईसी/ई.एस.आई/भ्रमणशील शल्य चिकित्सा ईकाई, जयपुर।
- 6 प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, संबंधित मेडिकल कॉलेज, राजस्थान।
- 7 संबंधित अधीक्षक, संलग्न चिकित्सालय समूह, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान।
- 8 संबंधित संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, जोन राजस्थान।
- 9 संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राजस्थान।
- 10 संबंधित जिला प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी, राजस्थान।
- 13 संबंधित कर्मचारी द्वारा प्रशासनिक अधिकारी, राजस्थान।
- 14 प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय विभागीय वेबसाईट पर अपलोड हेतु।
- 15 आदेश/रक्षित पत्रावली।

(राकेश शर्मा)
अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ,
राजस्थान जयपुर

[Faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the page]

(राकेश शर्मा)
अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ,
राजस्थान जयपुर